न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

~~न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला मन्दसौर~~

प्र.क्र. /2013 निगरानी ~~प्र.क्र. /84 /निगरानी/2011-12~~

बसन्तीलाल पिता प्रभुलालजी जाति कुल्मी,

निवासी सेमली तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर ---------- आवेदक

विरूद्ध

01- गंगाबाई पिता अमराजी रावतमीणा,

निवासी सेमली हालमुकाम सिद्धपुरा तह0जिला प्रतापगढ़

02- अनिल दत्तक पुत्र चुन्नीलाल जाति कुल्मी

निवासी सेमली तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर

03- म0प्र0 शासन ---------- अनावेदकगण

निगरानी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू राजसंहिता विरूद्ध प्र0क्र0 13/अ-6/2010-11 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर (अनिल वि0 गंगाबाई) आदेश दिनांक 31-5/2012 से असन्तुष्ट होकर ।

[signature]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1209—एक / 13 जिला मन्दसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5—7—2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 3—5—12 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को अनेक अवसर दिये जाने के पश्चात भी उसके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है । यहां तक कि कॉस्ट पर भी उसे अवसर दिया गया है, फिर भी उसके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में आवेदक का साक्ष्य का अवसर समाप्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	